समाहरणालय, कटिहार

कँवल तनुज भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
:- 06452-230581(O)
06452-230583(R)
:- +91-9473191375
फैक्स :- 06452-230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

अनुश्रवण कोषांग

–:: आदेश ::–

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से निदेशित किया गया है कि Lockdown के कारण बिहार के जो लोग अन्य राज्यों में फँसे हुए हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति 1000 (एक हजार) रूपये की राशि विशेष सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जानी है। इस निमित्त प्रवासी लोगों के द्वारा Mobile App के माध्यम से अपना फोटोग्राफ, नाम एवं पता, आधार की प्रति, खाते की विवरणी आपदा सम्पूर्ति के पोर्टल पर प्रेषित की जा रही हैं। उक्त सूचना का कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा प्रारंभिक जाँच की जा रही है। जाँचोपरान्त विवरणी को District Admin के माध्यम से स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाना है। जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, कटिहार ने अपने पत्रांक 12 दिनांक 05.04.2020 के द्वारा सूचित किया है कि District Admin से लाभार्थियों के Second level Verification (Approval/Reject) करने हेतु एक पदाधिकारी को नामित किया जाना है।

अतएव उक्त के आलोक में बिहार के बाहर फँसे व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनो की Second level Verification (Approval/Reject) किये जाने हेतु श्री रमीज फहमी, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कटिहार को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है तथा उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने देख–रेख में उपरोक्त कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

ह० 5/4
जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 955/सी०, कटिहार, दिनांक– 06/04/2020

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, कटिहार को उनके पत्रांक 12 दिनांक 05.04.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– श्री रमीज फहमी, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं ई–मेल के माध्यम से संसूचित करने हेतु प्रेषित।

ह० 5/4
जिला पदाधिकारी,
कटिहार।